



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 27, 1979/कार्तिक 5, 1901
No. 207] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27, 1979/KARTIKA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 72-ईडीसी(बी एन)/79

विषय :—संश्लिष्ट उच्चतम सीमा के भीतर जम्मू तथा कश्मीर मूल के केवल
गोदड़, साधारण गोभ्रडी, जंगली बिल्ली और पहाड़ी बिल्ली की
छालों न ही बनाई गई जैकेट और कोट का निर्यात।

मिसिल संख्या: 25/8/79-2 से जारी 1-1-1979 से जम्मू तथा कश्मीर
राज्य में लातू जंगली जीव (मरुधा) अधिनियम, 1972 के अनुसरण में सभी
विनिर्माता निर्यातका क्र० 31-12-1978 को अपने छालों के स्टॉक की घोषणा

करनी थी। विनिर्माता निर्यातको द्वारा यथा घोषित ऐसे खालों के स्टॉक और साथ ही साथ इन खालों से तैयार किए गए वस्त्रों का भी मत्यापन जम्मू तथा कश्मीर राज्य के जंगली जीव निदेशक द्वारा कर दिया जाता है।

2. जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विनिर्माता निर्यातको को अपने पुराने स्टॉक को समाप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए उन्हें तदर्थ उच्चतम मूल्य सीमा के भीतर केवल गीदड़, माधारण लोमड़ी, जंगली बिल्ली और पहाड़ी बिल्ली की खालों से ही तैयार की गई जैकेट और कोट के निर्यात के लिए अनुमति दी जाए।

3. जैकेट और कोट के कोटे का आबंटन जम्मू तथा कश्मीर हस्तशिल्प निगम द्वारा किया जाएगा। आबंटन प्राप्त करने के बाद निर्यातको को चाहिए कि वे संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली को आवेदन करें जो पोतलवान बिल पर पृष्ठांकन करके निर्यात की अनुमति प्रदान करेंगे। इन पौशाको के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त खालों को जंगली जीव निदेशक, जम्मू तथा कश्मीर राज्य द्वारा विधिवत् मत्यापित 31-12-1978 को विनिर्माता निर्यातको के पास उपलब्ध स्टॉक में से घटा दिया जाएगा।

4. इस प्रकार की खालों के किसी भी रूप में निर्यात पर प्रतिबन्ध जारी रहूँगा।

सी. वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

New Delhi, the 27th October, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 72-ETC(PN)/79

Subject :—Export of Jackets and Coats only made out of skins of Jackal, Common Fox, Jungle Cat and Hill Fox of J.&K. origin within a limited ceiling.

Issued from file No. 25(8)/79-EII.—In pursuance of application of Wild Life (Protection) Act, 1972, in J.&K. State w.e.f. 1-1-1979, all the manufacturer exporters were to declare their stocks of skins as on 31-12-1978. Such stocks of skins as declared by manufacturer exporters as well as garments made out of these skins have also been verified by the Wild Life Directorate of J.&K. State.

2 In order to help the manufacturer exporters of J. & K. State to liquidate their old stocks, it has been decided to allow them export of Jackets and Coats only made out of skins of Jackal, Common Fox, Jungle Cat and Hill Fox within an *ad hoc* ceiling fixed for this purpose.

3. The allotment of quota of Jackets or Coats will be made by the J.&K. Handicrafts Corporation. After obtaining allotment, the exporters should apply to the Jt. Chief Controller of Imports and Exports (Central Licensing Area), New Delhi, who will allow export by making endorsement on the shipping bills. Skins used for the manufacture of these garments would be deducted from the stocks held by the manufacturer exporters as on 31-12-1978 duly verified by the Wild Life Directorate, J.&K. State.

4. Export of skins as such in any form will continue to be banned.

(C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports

